

एक्सिस बैंक गिफ्ट कार्ड के लिए नियम और शर्तें

ये नियम और शर्तें एक्सिस बैंक निफ्ट कार्ड ('कार्ड') के उपयोग से जुड़े सभी लेने देने पर लाग होती हैं और कार्डधारक और बैंक के बीच पैसे के बंधन के रूप में नेजसके धीरे कार्ड जारी नेकया जातार्ड है बैंक। नि नियमों और शर्तों के संबंध में:

• एकविच के सभी संदर्भों में बहुविच शानेमल होने और पुनर्लेने में स्त्रीनेलेने शानेमल होने • खर्च शीर्षक के तल सुनेवधा के नेले हैं और सापेक्ष खर्च के र्द को प्रभानेवर्तर्डर ले हीं करर्ते हैं • नयद नेसके नेकसी प्रावधाि को सक्षम न्यायालय द्वारा वैध, श न्य या प्रवर्तर्डरिरीय माि ले जातार्ड है नेधकार क्षेत्र, नेस तर्डरह के प्रावधाि को यहां से और शेर् शर्तों से हटा नेदयाि या माि ले जाि ए और शर्तें लाि और प्रभावी रहेंि लेी

पररभाषाएँ

नेस दस्तावेज़ में, निनिनलखर्तर्डर शब्दों और वाक्दों शों के निनिनलखर्तर्डर र्द होि ले ले:

a. 'एटीएम' का र्द है एक स्वचानेलर्तर्डर टेलर मशीनि

ख. कार्ड के संबंध में 'आवेदक' का र्द है वह व्यक्िस जो कार्ड के नेले आवेदि करर्तार्डर है और खार्तार्डर होि लेा

ि. 'उपलब्ध रानेश' का र्द है कार्ड के संबंध में, के नेले एक निनिर्तर्डर समय पर उपलब्ध रानेश कार्ड पर उपयोगि करें, कार्ड खार्ते में जमा की ि ई रानेश (ओं) का योि होि ले के ि लेर्ते क) लेि -देि के नेले कार्ड का उपयोगि करके उपयोगि की ि ई रानेश और ख) बैंक द्वारा कार्ड खार्ते में प्रभारर्तर्डर कार्ड पर शुल्क, लाि तर्डर और व्यय

घ. 'बैंक' का तर्डर्त्यर् एक्सिस बैंक नेनलमटेर् से है, जो कं िपी नेधनियम, 1956 के तर्डर्तर्डर भारर्तर्डर में निि नेमर्तर्डर कं िपी है और बैनेकं ि नेवनियम नेधनियम, 1949 के र्द के भीर्तर्डर एक बैनेकं ि कं िपी और नेसके 'नेत्रश ल' तर्सिरी मनेजल, समर् ले श्वर मनेदर के सािमे, लॉ ि लेािर्ड के पास, में पंजीकृ तर्डर कायालडय, नएलसनिज, हमदाबाद - 380006 और नेसके उत्तरानेधकारी और सिमुदेनेशर्ती शानेमल हैं

(ड) कार्ड के संबंध में 'लाभार्ी' से आवेदक से उपहार के रूप में कार्ड प्राप्त कररे वाला व्यक्िस नेभर्तेर्डर है आवेदक की वाचाओं के दानेयर्ड ले ले को माि तर् हुए और िउसे सहमर्तर्डर होि लेा। हालांनेक, बैंक ऐसे न्य व्यक्िस के नेले नेकसी भी तर्डरह से उत्तरदायी या नेजम्मेदार ि हीं होि लेा

च. 'कार्ड' का र्द बैंक द्वारा कार्डधारक को जारी नेकए ि ए निफ्ट कार्ड से है, जो नेसके लेु सार है

छ. 'कार्डधारक' से कार्ड के संबंध में आवेदक या कार्ड के लाभार्थी का नेभर्तर्ड है।

ज. 'कार्ड खार्तर्ड' से बैंक द्वारा कार्ड के संबंध में रखा जाि ेे वाला खार्तर्ड नेभर्तर्ड है

i. 'EDC' का र्ड है एक नेलेक्ट्रॉनिक र्ेे टा कै प्चर नटमिलड, नेप्रंटर, न्य पररधीय और सहायक और ऐसे उपकरर् को चलाि ेे के नेलए आवश्यक सॉफ्टवेयर

ज. 'व्यापारी' या 'व्यापारी नप्रर्तडष्ठाि ' का र्ड होि ेा नप्रर्तडष्ठाि जहां कहीिंनेर्तर्ड हैं जो कार्ड स्वीकार / सम्माि करें और द सरों के बीच शानेमल होि ेे ेे: दुकाि ेे ेे, रेस्तरां, नआद। बैंक और/या वीज़ा/मास्टरकार्ड/रुपे द्वारा नेवज्ञानेर्तर्ड

k. 'POS' का र्ड है पॉनें ट-ऑफ़-सेल नटमिलड

(ठ) 'लेि देि ' का र्ड है एक निदेश या प छर्तर्डि या संचार जैसा नेक बैंक में नेदखाई दे रहा है। कार्डधारक द्वारा कार्ड का उपयोि करके प्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से बैंक को नेदए ि ए या िबाए ि ए ररर्कॉर्ड, लेि देि , चाहे ईर्ेीसी, पीओएस या बैंक के नेकसी न्य उपकरर् या बैंक के साझा ि ेे टवकर् के माध्यम से

m. 'VISA' Visa International के स्वानेमर्ल्ड वाले टरेमार्कर् को नेें निर्तर्ड करर्तर्ड है

n. 'मास्टरकार्ड' का र्ड है मास्टरकार्ड के स्वानेमर्ल्ड वाला टरेमार्कर्

र्. 'रुपे' का र्ड है भारतीय राष्ट्रीय भुि र्तर्डि निि म (िएपीसीआई) के स्वानेमर्ल्ड वाला टरेमार्कर्

1. कार्ड वैधर्तर्ड और उपयोि

1. 1. कार्ड जनरेट होने की तारीख से कार्ड 3 वर्ष की अवधि के लिए वैध है।

1.2 कार्ड की अधिकतम वैधता शुरुआत की तारीख से तीन वर्ष की है। उदाहरण (25 जुलाई से 28 जुलाई)। वही कार्ड नेसकी वैधर्तर्ड नवध के रूप में नेेंनिर्तर्ड महीि ेे के ेे नेर्तर्डम नेिद र्तर्डक वैध होि ेा। हालांनेक, नेससे पहले एक र्द की िउ नवध की समानेप्त पर कार्ड वैध रिहा बंद कर देि ेा नयद कार्ड में शेर् रानेश पहुंच जार्ती है श न्य।

- 1.3 कार्ड या लेडि देडि के संबंघ में बैंक को सभी संचार के वल निनिनलखर्तडर् द्वारा नेकए जाडि ेे चानेहए उम् मीदवार। कार्ड के संबंघ में बैंक द्वारा कोई भी संचार बैंक के माध्यम से प्रदाडि नेकया जाडिए वेबसानेट या सीधे आवेदक को स नेचर्तडर् नेकया जाडिए।
- 1.4 कार्ड का उपयोगि र्तडर्त्कालीडि उपलब्ध रानेश र्तडर्क के लेडि देडि के नेलए नेकया जा सकर्तडर् है।
- 1.5 कार्डधारक द्वारा कार्ड का उपयोगि नेकया जाडिए और यह हस्तांतडर्र् ेीय डि हीं है।
- 1.6 कार्ड पर नेकए डि ए लेडि देडि पर, नेस र्तडर्ह के लेडि देडि के बाद एक डि ई उपलब्ध रानेश पर पहुंिचे के नेलए ऐसी रानेश को र्तडर्त्कालीडि उपलब्ध रानेश से घटा नेदया जाडिए। नयद लेडि देडि की प्रनिया के नेलए कार्ड में पयाप्तड उपलब्ध रानेश मौज द डि हीं है, र्तो लेडि देडि संसानेधर्तडर् डि हीं नेकया जाडिए।
- 1.7 कार्ड के उपयोगि को एक्सिस के नियमों और शर्तों की स्वीकृ नेर्तडर् माडि ेा जाडिए बैंक प्रीपेर् कार्ड।
- 1.8 निफ्ट कार्ड पर डि कद आहरर् सुनेवधा उपलब्ध डि हीं होडि ेी।
- 1.9 कार्ड पर उपलब्ध/लोर की डि ई रानेश पर बैंक द्वारा कोई ब्याज देय डि हीं होडि ेा।
- 1.10 कार्डधारक के वल एक बार कार्ड का भरर् कर सके डि ेा जो नेधकर्तडर्म म ल्य ₹10,000/- के ध्यधीडि होडि ेा। (रुपये दस हजार के वल) या ऐसी न्य सीमा जो द्वारा निनेदष्टुर् की जा सकर्ती है बैंक आंतडर्रक और लाडि नेवनियामक और सांनेनवधक नेदशानिदेशों के धीडि है। कार्ड को पुडि लोर डि हीं नेकया जा सकर्तडर्सके बाद कार्डधारक और/या नेकसी न्य व्यक्सि द्वारा।
- 1.11 एक्सिस बैंक निफ्ट कार्ड के वल भारर्तडर् में नेकसी भी वीजा/मास्टरकार्ड/रुपे सक्षम मचेंट आउटलेट नटमिलों और डिऑलानि पोटलों पर उपयोगि की प ड सुरक्षा प्रदाडि करर्तें हैं।
- 1.12 बैंक शेर् प छर्तडर्छ के नेलए कार्ड के सार्-सार् नेंं टररेट बैंनेकं डि नेडिभम भी प्रदाडि करर्तडर् है और के वल किड के री. नेंंटररेट बैंनेकं डि के माध्यम से सभी फं र् टरांसफर सुनेवधाएं वरुद्ध हैं।
- 1.13 प्रीपेड कार्ड में अंतिम लेनदेन की तिथि से 10 वर्ष की अवधि के दौरान कोई भी अप्रयुक्त या नहीं निकाली गई शेष राशि डिपॉजिटर् एजुकेशन एवं अवेयरनेस फंड (DEAF) में ट्रांसफर कर दी जाएगी।

2. कार्ड के लिए आवेगि

2.1 कार्ड प्राप्त कररे के नेच्छुक व्यक्सि को निफ्ट कार्ड आवेदि-सह-जमा में बैंक को आवेदि कररा चानेहए कार्ड खाते में जमा की जाि ेे वाली रानेश के सार् बैंक द्वारा निधारडरतडर् प्रपत्र।

2.2 बैंक को नेिबा कोई कारर बर्ताडर् नेकसी भी आवेदि पर नेवचार ि कररे का नेधकार होि ेा।

2.3 बैंक कार्डधारक द्वारा जमा की ि ई रानेश को कार्ड के संबंध में बैंक में जमा करेि ेा कार्ड से संबनेधर्तडर् कार्ड खाते में।

3. कार्ड सुरक्षा

3.1 कार्डधारक कार्ड की सुरक्षा के नेलए नेजम्मेदार होि ेा और नेस नेदशा में सभी कदम सुनिर्तडर् करेि ेा कार्ड का सुररक्षर्तडर् उपयोगि ।

3.2 नयद आवेदक कार्ड का उपयोगि करर्तडर् है तो उसे कार्ड प्राप्त होि ेे पर कार्ड के पीछे हस्ताक्षर कररे की आवश्यकर्तडर् होर्ती है

नेसके ि ेानेधकृ तडर् उपयोगि से बचें। नयद आवेदक कार्ड नेकसी न्य व्यक्सि को उपहार में दे रहा है तो कार्ड के

लाभार्ेी को कार्ड प्राप्त होि ेे पर कार्ड के पीछे हस्ताक्षर कररे की आवश्यकर्तडर् होर्ती है तडिनर्क नेसके ि नेधकृ तडर् उपयोगि से बचा जा सके ।

4. व्यापारी स्थाि और पॉइंट-ऑफ-सेि उपयोगि

4.1 एटीएम, पॉनें ट ऑफ़ सेल या मचेंट लोके िश पर ि कद निकासी या जमा की िेु नमर्तडर् ि हीं है।

4.2 कार्ड मचेंट आउटलेट और िऑलानि मचेंट के सभी नेलेक्ट्रॉनिक पॉनें ट-ऑफ-सेल नटमिलड पर स्वीकार नेकया जार्तडर् है भार्तडर् में नप्रर्तडर्ष्ठाि जो वीज़ा/मास्टरकार्ड/रुपे लोि ेो प्रनदशर्तडर् करर्ते हैं।

4.3 नेकसी भी पररसर में प्रनदशर्तडर् वीज़ा/मास्टरकार्ड/रुपे प्रर्तीक के नेलए कार्ड प्रचार सामग्री है वारंटी ि हीं है नेक िउ पररसरोमं ेेेेे उपलब्ध सभी वस्तुओं और सेवाओं को कार्ड से खरीदा जा सकर्तडर् है। कार्ड नेलेक्ट्रॉनिक उपयोगि के नेलए है और के वल एक व्यापारी पर स्वीकायर् होि ेा नेजसके पास ईर्ेीसी नटमिलड है। नेलेक्ट्रॉनिक उपयोगि को छोकड र कार्ड का कोई भी प्रयोि ि नेधकृ तडर् माि ेा जािए और कार्डधारक ऐसे लेि देि ेो ेे के नेलए प री तडर्ह से नेजम्मेदार होि ेा. नेलेक्ट्रॉनिक उपयोगि का निमार्ड ईर्

ेीसी नटमिलड से

नेलेक्ट्रॉनिक रूप से मुनिर्तडर् चाजर् किसप/टरांजेक्सि किसप पर नेकया जार्तडर् है।

4.4 कार्ड तडर्भी सम्मानिर्तडर् नेकया जािए जब उस पर कार्डधारक के हस्ताक्षर हो। ेे

4.5 ई-सी नटमिलड द्वारा नेबि पची उत्पन्न कररे के बाद ले-दे-को नेधकृ तडर और प ड मा-े-ा जार्ताडर है।

4.6 कार्डधारक को यह सुनिनिर्तडर कररा चानेहए नेक कार्ड का उपयो-ि मचेंट -ि-े-ा-ि पर के वल एक बार नेकया -ि या है। कार्ड का उपयो-ि नेकए जा-ि -े-े पर हर बार नेबि पची मुनिर्तडर की जा-ि-ी और कार्डधारक को यह सुनिनिर्तडर कररा चानेहए नेक खरीदारी के समय मचेंट -ि-े-ा-ि पर कार्ड का कई बार उपयो-ि -ि हो.

4.7 बैंक कार्डधारक द्वारा मचेंट के सार् नेकए जा-ि -े-े वाले नेकसी भी ले-ि-दे-ि की नेजम्मेदारी स्वीकार -ि हीं करे-ि -े-ा नसहर्तडर लेने-िक माल और सेवाओं की आप नेर्तडर तडर्क सीनेमर्तडर -ि हीं है। नयद कार्डधारक को नेकसी वीजा/मास्टरकार्ड/रुपे मचेंट नप्रर्तडर्ग-ि-ि -े-ो-े-ं के संबंध में कोई नेशकायर्तडर है, तो मामले को कार्डधारक द्वारा मचेंट नप्रर्तडर्ग-ि-ि के सार् हल नेकया जा-ि -े-ा चानेहए और ऐसा कररे में नेवफल रिहे पर कार्डधारक को बैंक के नप्रर्तडर नेकसी भी दानेयर्तड से राहर्तडर -ि हीं नेमले-ि -े-ी। हालांनेक, कार्डधारक को तुर्डर्तडर बैंक को स नेचर्तडर कररा चानेहए।

4.8 बैंक नेकसी व्यापारी द्वारा -िलाए -ि ए और कार्ड से र्-े-े नेबट नेकए -ि ए नेकसी भी नेधभार के नेलए कोई नेजम्मेदारी स्वीकार -ि हीं करर्ताडर है खार्ताडर।

4.9 जब भी नेकसी व्यापारी के यहां कार्ड का उपयो-ि नेकया जाए तो कार्डधारक को नेबि पची पर हस्ताक्षर करके -िपे पास रख ले-ि -े-ा चानेहए -ि-े-ा-िपा। बैंक नेर्तडररर प्रभार पर नेबि पची की नप्रर्तडर्या प्रस्तुर्तडर कर सकर्ताडर है। कोई नेबि पची -ि हीं कार्डधारक द्वारा व्यक्सि-ि तडर रूप से हस्ताक्षरर्तडर, लेने-िक नेजसे कार्डधारक द्वारा नेधकृ तडर नेकया जा सकर्ताडर है, कार्डधारक का दानेयर्तड हो-ि -े-ा।

4.10 भु-ि तार्डर-ि के नेलए बैंक द्वारा नेकसी व्यापारी से प्राप्त कोई शुल्क या न्य भु-ि तार्डर-ि मां-ि, निर-े-ायडक प्रमार् हो-ि -े-ा नेक नेस तर्डरह की मां-ि पर दजर शुल्क व्यापारी द्वारा रानेश में और कार्डधारक द्वारा उस शुल्क या न्य मां-ि में संनदभर्डर्तर् कार्डधारक द्वारा नउचर्तडर रूप से विह नेकया -ि या र्-े-ा, जैसा भी मामला हो, कार्ड के उपयो-ि से, नेसवाय जहां कार्ड खो -ि या है, चोरी हो -ि या है या धोखाधर्-े-ी से दुरुपयो-ि नेकया -ि या है, नेजसका प्रमार् कार्डधारक के पास हो-ि -े-ा।

4.11 नयद कोई व्यापारी नेकसी त्रुनेट के कारर् या

माल वापसी, पहले की नेबि रसीद को व्यापारी द्वारा रद्द कर नेदया जा-ि -े-ा चानेहए और की एक नप्रर्तडर रद्द की -ि ई रसीद को उसके कब्जे में रखा जा-ि -े-ा चानेहए। नेकसी भी व्यापारी के कारर् सभी -िधवापसी और समायो-िज /

नेवानर्स त्रुनेट या संचार नेलंक को मैनु ल रूप से संसानेधर्तडर नेकया जा-ि -े-ा चानेहए और खार्ते को बाद में -ि-े-े नेटर्

नेकया जाणि नउचर्तडर् सत्यापि और वीज़ा/मास्टरकार्ड/रुपे नियमों और नेवनियमों के ि
ेु सार जो लाि होतें हैं।

कार्डधारक नेस बार्तडर् से सहमर्तडर् है नेक नेस समय के दौराि प्राप्त नेकसी भी र्ेे नेबट को के वल नेस
िधवापसी पर नेवचार नेकए नेिबा कार्ड पर उपलब्ध शेर् रानेश। कार्डधारक बैंक को नक्षर्तडर्प नेर्तडर् भी
करर्तडर् है भुि तर्तडर्ि निदेशों का ि ेादर कररे के ऐसे कृ त्यों से।

4.12 कार्ड का उपयोि होटलों में चेक-नि के दौराि और भुि तर्तडर्ि कररे वाले न्य ि ेाि ेो ेे पर ि
हीं नेकया जाि ेा है खरीद लेि देि या सेवाओं के प रा होि ेे से पहले व्तिवा की जार्ती है।

4.13. कार्ड का प्रयोि नेकसी मेल ऑर्डर/फोि आर्डर की खरीद के नेलए ि हीं नेकया जाि ेा चानेहए और ऐसे
नेकसी भी प्रयोि को ि नेधकृ तर्तडर् माि ेा जाणि तर्तडर् ेा कार्डधारक ही प री तर्तडर्ह से नेजम् मेदार होि
ेा।

कार्ड का उपयोि नेवदेशी नपत्रकाओं/नपत्रकाओं और नेकसी भी कार्ड की सदस्यर्तडर् के भुि तर्तडर्ि के नेलए
ि हीं नेकया जाि ेा चानेहए नेस तर्तडर्ह के उपयोि को ि नेधकृ तर्तडर् माि ेा जाणि और कार्डधारक प
री तर्तडर्ह से नेजम्मेदार होि ेा।

4.14 नेकसी भी ईर् ेीसी/पीओएस पर कार्ड के उपयोि पर सेवा प्रभार और/या लेि देि शुल्क िल सकर्तडर्
है; और
/ या प्रसंस्करर् शुल्क और / या कार्ड पर िलाया जा रहा प्रसंस्करर् शुल्क।

4.15 ऐसे सभी प्रभारों की कटौर्ती उपलब्ध रानेश से की जािेी, चाहे ऐसी प वर् स िचा दी ि ई हो या ि हीं
कार्डधारक को शुल्क नेदया जार्तडर् है।

4.16 कार्डधारक को स नेचर्तडर् नेकया जार्तडर् है नेक वह लेि देि ेो ेे का ररर्कॉर्ड िपे पास रख ले।

5. कार्डधारकों के गाागायत्व और ि ाुबंध

5.1 कार्डधारक को िपा पर्तडर् बदिले के मामले में तुर्डर्तडर् बैंक को स नेचर्तडर् कररा चानेहए।

5.2 कार्डधारक को हर समय यह सुनिर्तडर् कररा चानेहए नेक कार्ड सुरक्षर्तडर् ि ेाि पर रखा ि या है।

5.3 कार्ड बैंक की संनपत्त है और िेु रोध पर बैंक के नेधकृ तर्तडर् व्यक्सि को लौटा नेदया जाि ेा चानेहए।
कार्डधारक यह सुनिर्तडर् कररे ेा नेक कार्ड सौप ि ेे से पहले बैंक के नेधकृ तर्तडर् नकमयों की पहचाि
ि ेानेपर्तडर् कर ली ि ई है।

5.4 कार्डधारक सभी लेि देि और संबंनेधर्तडर् शुल्कों के नेलए उत्तरदायी होि ेा।

5.14. कार्डधारक ि ेे उस व्यक्ति को िपे कार्ड का उपयोगि कररे के नेलए प्रानेधकृ तडर् नेकया है और कार्डधारक ऐसे व्यक्ति द्वारा िपे कार्ड के सार् शुरू नेकए ि ए नेकसी भी लेि देि के नेलए नेजम्मेदार होि ेा। पॉनें ट-ऑफ-सेल नेवानर्स या न्य खरीद लेि देि के माध्यम से नेकसी भी खरीद पर, कार्ड पर उपलब्ध रानेश ऐसी खरीद की रानेश से कम हो जािे। 5.15 कार्डधारक बैंक को कार्ड पर खचर् की ि ई ऐसी सभी रानेशयां भुि तडर्ि कररे के नेलए सहमर्तडर् होर्तडर् है, जो उस रानेश के म ल्य से नेधक होर्ती हैं। कार्ड की खरीद पर ि ेे तडर् द्वारा भुि तडर्ि नेकया जातडर् है जैसे रेस्तरां युक्सियााााााँ और न्य नेधभार।

5.16 कार्डधारक को कार्ड में बकाया शेर रानेश को भुि ेाि ेे की िेु नमर्तडर् दी जािेी, नयद नेकसी कारर् से नेस योिजा को बंद नेकया जा रहा है वार् भारतीय ररजवर् बैंक द्वारा नेसे बंद कररे का निदेश नेदया ि या है।

5.17 कार्डधारक निष्टो मुि ेा की खरीद के नेलए कार्ड का उपयोि ि हीं करेि ेा

6. कार्ड का ि ाुकसाि

6.1 नयद कार्ड खो जातार्डर् है तौ कार्डधारक को टेलीफोि पर बैंक को ऐसे िेु कसाि की स िचा र्तडर्काल देि ेी चानेहए (फोि बैनेक ि) या बैंक को नेनलखर्तडर् संचार के माध्यम से।

6.2 कार्डधारक को पुनेलस के पास कार्ड खोि ेे की ररपोटर् दजर् कररी चानेहए और उसकी एक नप्रर्तडर् बैंक को भेिजी चानेहए।

6.3 बैंक खोए हुए कार्ड की ररपोटर् के सत्यािप के बाद कार्ड को िेायी रूप से निलंनेबर्तडर् (हॉट नेलस्ट) कर देि ेा नेस र्तडर्ह के खोए हुए कार्ड की ररपोटर् प्राप्त होि ेे के नेिद के बाद कायर् नेदवस।

6.4 कार्डधारक िपे कार्ड पर नेकए ि ए सभी लेि देि ेोे के नेलए र्तडर्ब र्तडर्क उत्तरदायी िबा रहेि ेा जब र्तडर्क वह बैंक को िपे कार्ड के खो जाि ेे की स िचा ि हीं देतार्डर्.

6.5 कार्ड खो जाि ेे की क्सिनेर्तडर् में, कार्डधारक और प्रयुि व्यक्सि को एक नप्रिर्तडर्िप कार्ड जारी नेकया जािेा कार्ड जारी कररे के प्रभारों की कटौती के बाद शेर रानेश को कार्ड बदिले वाले कार्ड में ें र्तडर्रर्तडर् कर नेदया जािेा।

7. प्रयुक्त कार्ड रागाश

7.1 ग्राहकों को पीपीआई की वैधर्तार्डर् नवध समाप्त होि ेे से 45 नेिद पहले स नेचर्तडर् नेकया जािेा उपलब्ध चैि लों में से नेकसी एक जैसे एसएमएस/ईमेल के माध्यम से।

7.2 कार्ड की समानेप्त की तार्डर्खि को या उसके बाद धारक द्वारा खरीदे ि ए बैंक के समाि ि ए भुि तार्डर्ि नेलखर्तडर् में नेकसी भी बकाया रानेश के ें र्तडर्र् की िेुनमर्तडर् दी जा सकर्ती है।

कार्ड गिक्सियर्तार्डर्

1. नयद एक वर्ड की िलार्तार्डर् नवध के नेलए कोई नेवत्तीय लेि देि ि हीं नेकया जातार्डर् है तौ कार्डधारक को स नेचर्तडर् कररे के सार् बैंक द्वारा कार्ड को निक्सिय कर नेदया जािेा।

2. बैंक शाखाओं और/या ि ेनेमर्तडर् व्यवसाय नप्रर्तडर्निनेधयों द्वारा ग्राहक द्वारा सत्यापि के बाद ही कार्ड को पुि सनिय नेकया जा सकर्ताडर् है।

3. ऐसे कार्ड भारर्तीय ररज़वर् बैंक को िउके िेु देशों के िेुसार स नेचर्तडर् नेकए जाएंि ेे

कार्ड बदिला	100 रु
मोचि शुल्क	100 रु
एटीएम ि कद निकासी शुल्क- नेजम्मेदारी	ि ेा
एटीएम ि कद निकासी शुल्क- ऑफस- नप्रर्तडर् माह पांच लेि देि मुफ्त	ि ेा
ि ेै र-नेवत्तीय लेि देि - नेजम्मेदारी - बैलेंस प छर्ताडर्छ, नेमि स्टेटमेंट, नेप रीसेट	श न्य
ि ेै र-नेवत्तीय लेि देि - ऑफस - बैलेंस प छर्ताडर्छ, नेमि स्टेटमेंट, नेप रीसेट - नप्रर्तडर् माह पांच लेि देि मुफ्त	10 रु

9. सुगावधाओं में बगिाव

9.1 बैंक िपे नेववेकाि ेु सार कार्ड के उपयोगि के नेलए नेधक ईर् ेीसी, पीओएस, िऑलानि उपलब्ध करा सकर्ताडर् है या साझा ि ेे टवकर् के माध्यम से न्य सेवाएं। कार्डधारक समझर्ताडर् है और सहमर्तडर् है नेक नेस तर्डर्ह ि ेे टवकर् नेनवभन्न सेवाओं और / या ि ेाि ेो ेे के नेलए िल- िल कायक्षडमर्तडर्, सेवा प्रसाद और िल- िल शुल्क प्रदाि कर सकर्ते हैं।

9.2 बैंक, िपे नेववेकानेधकार में, नेकसी भी समय, कार्डधारक को ि ेेनेटस नेदए नेिबा, निनिनलखर्तडर् का हकदार होि ेा ईर् ेीसी, पीओएस, िऑलानि और न्य सेवाओं तर्डर्क पहुंच के आधार पर कार्ड और/या नेससे संबनेधर्तडर् सेवाओं का उपयोगि कररे की सुनेवधा को वापस लेि ेा, बंद कररा, रद्द कररा, निलंनेबर्तडर् / या समाप्त कररा और ऐसे निलंबि या समानेप्त से नेकसी भी तर्डर्ह से होि ेे वाली नेकसी भी हानि या नक्षर्तडर् के नेलए कार्डधारक के नप्रर्तडर् उत्तरदायी ि हीं होि ेा।

9.3 रखरखाव: जनबक रखरखाव कायर् की नेग्रम स िचा सेवाओं की उपलब्धर्तडर् को प्रभानेवर्तडर् कररे की संभािवा है, बैंक नेिबा नेकसी स िचा के, ईर् ेीसी, पीओएस, िऑलानि तर्डर्क पहुंच को निलंनेबर्तडर् कररे का नेधकार सुरक्षर्तडर् रखर्ताडर् है।

न्य समाि उपकरर् या सभी या नेकसी भी सेवा का प्रावधाि, नेकसी भी समय, नयद बैंक ऐसा कररा आवश्यक समझर्ताडर् है, चाहे निनयमर्तडर् रखरखाव के नेलए या नेकसी न्य कारर् से। मुनिर्तडर् लेि देि ररर्कोर्ड, शेर् स िचा नेववरर्, त्रुनेटयां,

10. गाशकायर्तेः ि गाधक् तडर ि ाेि गाेि और ग्राहक गाशकायर्ते

10.1 नेकसी ि नेधकृ र्तडर लेि देि के नेलए बैक या ग्राहक की देयर्ताडर होि ेी:

10.1.1 ग्राहक का शून्य दानेयर्त्त - शून्य देयर्त्ताडर् के नेलए ग्राहक की पात्रर्त्ताडर् उत्पन्न होिेी जहां ि नेधक र्त्ताडर् लेि देि निनिनलखर्त्ताडर् र्त्ताडर्कि से होर्ताडर् है:

(ए) बैंक की ओर से ें शदायी धोखाधर्ेी/लापरवाही/कमी (भले ही ग्राहक द्वारा लेि देि की स िचा दी ि ई हो या ि हीं)

(ख)र्डर पाटी ि ेीच जहां कमी ि त्तो बैंक के सार् है और ि ही ग्राहक के सार् है, नबल्क झठ है नेसस्टम में कहीं और, और ग्राहक प्राप्त कररे के त्तो कायर् नेदवसों के भीर्तर्डर बैंक को स नेचर्तडर् करर्तार्डर है ि नेधक र्तडर लेि देि के बारे में बैंक से पत्र।

10.1.2 ग्राहक का सीनेमर्तडर दानेयर्ल्ड - निनिनलखर्तडर मामलों में ि नेधकृ र्तडर लेि देि ेो ेे के कारर् होि ेे वाली हानि के नेलए ग्राहक उत्तरदायी होि ेा :

(ए) ऐसे मामलों में जहां ि ेु कसाि ग्राहक द्वारा लापरवाही के कार् होताडर् है, जैसे नेक जहां िसे भुि ताडर् साझा नेकया है ि ेे र्ेेेे नेशयल्स में, ग्राहक तडर्ब तडर्क प रा ि ेु कसाि विह करेि ेा जब तडर्क नेक वह ि नेधक् तडर् लेि देि की ररपोटर् ि हीं करताडर् खाताडर् होि ेा। ि नेधक् तडर् लेि देि की ररपोनेटिं के बाद होि ेे वाली नेकसी भी हानि को बैंक द्वारा विह नेकया जािण।

(ख) ऐसे मामलों में जहां ि नेधकृ र्तडर नेलेक्ट्रॉनिक बैनेक ि लेि -देि का उत्तरदानेयर्ड ि र्तो बैक का है और ि ही ग्राहक का, नबल्क प्रर्ेाली में कहीं और है और जब ग्राहक की ओर से निनिनलखर्तडर में नेवलंब होताडर है (बैंक से स िचा प्राप्त होि ेे के बाद चार से सार्तडर कायर् नेदवसों का)। ऐसे लेि -देि के बारे में बैंक को स नेचर्तडर कररा, ग्राहक की नप्रर्तडर लेि देि देयर्तार्डर निनिनलखर्तडर र्तडर्क सीनेमर्तडर होि ेी लेि देि म ल्य या रु. 10,000/- जो भी कम हो.

10.1.3 नयद ग्राहक संचार प्राप्त कररे के सार्तडर् कायर् नेदवसों के बाद बैंक को स नेचर्तडर् करर्ताडर् है ि नेधक र्तडर् लेि देि के संबंध में बैंक से प्राप्त होि ेे पर, ग्राहक की देयर्ताडर् का निधारडर् निनिनलखर्तडर् के िेु सार नेकया जािँए बैंक बोर्ड िेे िेीनेर्तडर् को मंज री दी। बैंक िपे बोर्ड के िेु सार नेसका म ल्यांिक और निधारडर् करेिेा िेे मोनेदर्तडर् िेीनेर्तडर्

वृन्द्ध नेववरर् के नेलए, एक्सिस बैंक की वेबसानेट (www.axisbank.com) पर जाएं और बैंक की नेशकार्यर्तडर् के माध्यम से जाएं निवारर ि ेीनेर्तडर

10.1.4 आपके निदेशों के सभी ररकॉर्ड और बैंक द्वारा िबाए ि ए ऐसे न्य नेववरर् (नेजिमें नेकए ि ए या प्राप्त नेकए ि ए भुि तर्तडर् शानेमल हैं, लेनेिक नेनेे् ेी ेे तर्तडर् सीनेमर्तडर् ि हीं) हैं, नेलेक्ट्रॉनिक या दस्तावेजी रूप में, आपके नेखलाफ, ऐसे निदेशों और ऐसे न्य नेववरर् ेे ेे का निर् ेेयडक साक्ष्य माि ेेा जाि ए।

10.1.5 ररपोनेिटि के समय और/या खार्ते पर नेकए ि ए लेि देि /संव्यवहारों से संबंनेधर्तडर् नेकसी भी नेववाद के मामले में या िउ खार्ते के संबंध में कोई न्य मामला, बैंक समय का पर्तडर् िलाि ेे का नेधकार सुररक्षर्तडर् रखेि

ेेा

और/या नेववानेदर्तडर् लेि देि की प्रामानेकर्ताडर् और तीसरे पक्ष की धोखाधर्ेी के कारर् आपके कार्ड खार्ते में ि नेधकृ तर्तडर्

लेि देि के मामले में आपकी देयर्तडर् या जहां आपे धोखाधर्ेी के नेलए योि दाि ि हीं नेकया है, "ग्राहक संरक्षर्- ि नेधकृ तर्तडर् नेलेक्ट्रॉनिक बैनेक ि लेि देि में ग्राहकों की सीनेमर्तडर् देयर्तडर्" पर आरबीआई पररपत्र में नेदए ि ए नेदशानिदेशों के िेेु सार संचानेल्तडर् होि ेेा। समय की बार्तडर्।

10.1.6 नेधकसहायर्तडर् के नेलए वेबसानेटदेखें www.axisbank.com/support

11. सूि ाा का प्रकटीकरण

11.1 बैंक न्य संि ेेाि ेे ेे को ऐसी जाि कारी का खुलासा कररे का नेधकार सुररक्षर्तडर् रखर्तडर् है, जो कार्ड या कार्डधारक के संबंध में आवश्यक या उपयुि हो सकर्तडर् है नेकसी भी नेलेक्ट्रॉनिक फं र् टरांसफर ि ेे टवकर् में भाि ेेीदारी।

11.2 ईर् ेेीसी, पीओएस, िऑलानि/ न्य उपकरर् ेे ेे पर कार्ड का उपयोि कार्डधारक की िएप्रेस का ि िठ करेि

ेेा िेेु नमर्तडर्

- कार्ड शेर् जाि कारी की पहचाि और प्रसंस्करर् के संग्रह, भर् ेेारर्, संचार और प्रसंस्करर् के नेलए नउचर्तडर् लेि देि ररकॉर्ड िबाए रिखे के नेलए बैंक के नेलए आवश्यक नेकसी भी माध्यम से
- नप्रर्तडर्भानियों और प्रोसेसर ि ेे टवकर्/कार्डधारक के खार्ते के नेववरर् के न्य ि ेे टवकर् और लेि देि की जाि कारी और कार्ड को ईर् ेेीसी, पीओएस, िऑलानि/ न्य नेवानर्स पर उपयोि कररे में सक्षम िबाि

ेे के नेलए आवश्यक न्य र् ेेेटा जारी कररा और प्रेनेर्तडर् कररा

- बैंक में िउ नप्रर्तडर्भानियों और प्रोसेसर द्वारा ऐसी जाि कारी और र् ेे टा को िबाए रिखे के नेलए / न्य ि ेे टवकर्
- बैंक के ि ेे टवकर्/ न्य ि ेे टवकर् में िउ नप्रर्तडर्भानियों और प्रसंस्करकर्ताडर्ओ द्वारा िेेु पालि के नेलए जाि कारी के प्रकटीकरर् को नियनेर्तडर् कररे वाले काि ि और नेवनियम नेजके नेलए ऐसे नप्रर्तडर्भाि ेेी और प्रोसेसर हैं नेवयर्

- लेवि-देवि के बारे में तीसरे पक्ष को जाविकारी का खुलासा करके के नेलए, जहां नयद आवश्यक हो तो, लेवि-देवि प रा कररा, या जब कावि ि या सरकारी एजेंसी या दालर्तडर् के आदेशों का पाविल कररा आवश्यक हो या कावि ि ेी कायवाडही या जब कार्डधारक द्वारा उठाए ि ए या ि म में त्रुनेटयों या प्रश्न को हल करके के नेलए आवश्यक हो बैंक की आर्तडर्कर र्ेे टा प्रोसेनेसंि आवश्यकर्ताडर्ओं को प रा करके के नेलए

11.3 कार्डधारक एर्तडर् वारा बैंक को नेकसी भी समय और नेकसी भी उद्देश्य के नेलए, िपे व्यक्सिं तर्डर् नेववरर्, कार्ड लेवि देवि, या बैंक के सार् लेवि-देवि से संबन्धर्तडर् नेकसी भी जाविकारी, प्रधावि कायालडय या नेकसी न्य शाखाओं, सहायक कं पनियों, या संबद्ध या संबद्ध निवि मों, जहां भी क्सिर्तडर् हो, भारर्तडर् में या कहीं और नेकसी भी सरकारी या नियामक एजेंनेसयों या प्रानेधकरर् ेो ेे को प्रकट करके के नेलए बैंक को स्पष्ट्े रूप से नेधकृ तर्डर् करर्ताडर् है, नेनज् ेो ि ेे नेकसी भी एजेंट या ठेके दार को निष्पानेदर्तडर् करके के नेलए एक समझौर्ते में प्रवेश नेकया है बैंक के नेलए सेवा लाभ और कोई न्य व्यक्सि (ओं) जो भी कावि ि द्वारा प्रकटीकरर् की आवश्यकर्ताडर् है या न्यर्ेा नेजसे बैंक नेस तर्डर्ह के प्रकटीकरर् करके के नेलए उपयुवि समझर्ताडर् है।

11.4 नेसके ें िर्तडर्डर्तर् खातों के संबंध में दानेयर्ल्ड के वल बैंक शाखा में देय हैं जो कार्ड जारी नेकया ि यार्ेा और ि ेा ि ेीय कावि ि ेो ेे के धीं ि हैं (नसहर्तडर्, नेिबा सीमा के, कोई भी राजकोर् ेीय और नेवनिमय नियंत्रर् नेवनियिम नसहर्तडर् सरकारी कृ त्यों, आदेशों, फरमावि ेो ेे और नेवनियमों)।

12. बैंक का गाधकार'

12.1 बैंक िपे नेववेकानेधकार पर कार्डकोवापसले सकर्ताडर् है या निलंनेबर्तडर् कर सकर्ताडर् हैयानेसकी नेकसी भी नेवशेर्डर्तडर् में संशोधि कर सकर्ताडर् है कार्डधारकों को स िचा नेदए नेिबा।

12.2 बैंक के पास ऐसा लेवि-देवि ि करके का नेववेकानेधकार होि ेा जहां उसके पास यह नेवश्वास करके का कारर् हो नेक

कार्ड का उपयोवि नेधकृ तर्डर् ि हीं है या लेवि देवि वाक्सस्तवक या स्पष्ट्े ि हीं प्रर्तीर्तडर् होर्ताडर् है या जैसे नेक संदेह या नेसे नेकसी भी कारर् से लावि ि हीं नेकया जा सकर्ताडर् है।

12.3 क्ेा कार्डधारक द्वारा नेदया ि या कोई भी निदेश बैंक द्वारा नेधक रूप से निष्पानेदर्तडर् नेकए जावि ेे में सक्षम होि ेा चानेहए? एक से नेधक तर्डर्कों से, बैंक िपे नेववेकानेधकार पर िउ निदेशों में से नेकसी एक में िउ निदेश को निष्पानेदर्तडर् कर सकर्ताडर् है।

13. व्यापाररयों के साथ कार्डधारक गाववागा

13.1 कार्डधारक के हस्ताक्षर के सार एक नेबि पची/नेलेक्ट्रॉनिक पची और कार्ड ि ेंबर ि ेोट नेकया ि या नेस पर बैंक और कार्डधारक के बीच कार्डधारक द्वारा विह की ि ई देयर्ताडर् की सीमा के बारे में निर् ेायडक साक्ष्य होि ेेे।

13.2 बैंक ि ेु वर्त्ता, म ल्य वारंटी, नेलीवरी में देरी के नेलए नेकसी भी तर्डरह से नेजम्मेदार ि हीं होि ेेा, कार्डधारक द्वारा प्राप्त नेकसी भी सामाि या सेवाओं की ि ेै र-नेलीवरी ि ेैर-प्रानेप्त।

13.3 यह स्पष्ट्े रूप से समझा जाि ेेा चानेहए नेक कार्ड सुनेवधा कार्डधारक के नेलए नेवशुद्ध रूप से सामाि खरीदि या सेवाओं का लाभ उठाि ेे की सुनेवधा है और बैंक ि ेु वर्त्ता, म ल्य, नेवर्तडरर् या न्यर् ेेा के बारे में कोई वारंटी ि हीं देर्ताडर् है या कोई नप्रर्तडर्निनेधर्त्ड ि हीं करर्ताडर् है, चाहे वह माल या सेवाओं से संबंनेधर्तडर् हो, और नेववाद को सीधे व्यापारी नप्रर्तडर्ष्ठाि के सार हल नेकया जाि ेेा चानेहए। हालांनेक, कार्डधारक व्यापारी के सार नेववाद के बारे में बैंक को ररपोटर् करेि ेेा, ि ेेाि ेेो ेेे के ि ेेाम, लेि देि की तर्डर्रीख और समय और न्य नेववरर् ेेो ेेे का नेववरर् देि ेेा जो बैंक को उसकी जांच में सहायर्ताडर् करेि ेेा।

13.4 बैंक पीनेर्डर् कार्डधारक के निनिनलखर्तडर् के समाधाि के नेलए सदाशयी और नउचर्तडर् प्रयास करेि ेेा की प्रानेप्त के दो महीि ेे के भीर्तडर् बयाि में नेेे निर्तडर् लाि शुल्क से सहनमर्तडर् सहनमर्तडर् की स िचा। नयद नेस तर्डरह के प्रयास के बाद, बैंक यह निधारडरर्तडर् करर्ताडर् है नेक दशायाड ि या शुल्क सही है तौ वह कार्डधारक को नेबि पची या भुि तर्डर्ि मााााााााि की एक नप्रर्तडर् नसहर्तडर् नेववरर् के सार स नेचर्तडर् करेि ेेा।

13.5 बैंक नेकसी भी नप्रर्तडर्ष्ठाि द्वारा कार्ड का सम्माि कररे से निकार कररे के नेलए कोई नेजम्मेदारी स्वीकार ि हीं करर्ताडर् है।

13.6 बैंक ि ेे कु छ व्यापाररयों के सार छ ट प्रदाि कररे के नेलए एक समझौर्ताडर् नेकया है खरीदि ि ए माल / प्राप्त सेवाओं के संबंनेर्कार्डधारक। हालांनेक, बैंक ऐसे व्यापाररयों के साकाडर्डधारक के नेकसी भी नेववाद के नेलए नेजम्मेदार या जवाबदेह ि हीं होि ेेा।

14. गाागायत्व से गबहष्करण

14.1 प विर्ेामी पर नप्रर्तडर्क ल प्रभाव र्ेेाले नेिबा, बैंक निनिनलखर्तडर् से प्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से होि ेेे वाली नेकसी हानि या नक्षर्तडर् के संबंने में कार्डधारक के नप्रर्तडर् नेकसी भी प्रकार का दानेयर्त्ड ि हीं रखेि ेेा:

- आप नेर्तडर् की ि ई वस्तुओं या सेवाओं में कोई दोर्
- कार्ड का सम्माि कररे या स्वीकार कररे से नेकसी भी व्यक्सि का निकार
- नेकसी भी नेलेक्ट्रॉनिक नटमिलड या िऑलानि मचेंट की खराबी
- कार्ड की वापसी का ि ेेु रोध कररे वाले नेकसी भी व्यक्सि द्वारा नेदया ि या कोई भी बयाि या नेकसी के द्वारा नेकया ि या कोई भी कायर् संयोिज के रूप में व्यक्सि

- बैंक द्वारा कार्ड की समानेष्ट नेटडनर् से पहले कार्ड के भ्यपर्ड की मांि कररे और प्राप्त कररे के िपे नेधकार का प्रयोि , चाहे ऐसी मांि और समपर्ड बैंक द्वारा या नेकसी व्यक्सि या कं प्य टर नटमिलड द्वारा नेकया ि या और/या प्राप्त नेकया ि या हो
- बैंक द्वारा नेकसी भी कार्ड को समाप्त कररे के िपे नेधकार का प्रयोि
- आवेदक के ि ेे नेटर् चररत्र और नप्रर्तडर्ष्ठा को कोई भी चोट िलि ेे का आरोप िलाया ि या है कार्ड को वापस लेि ेा और/या, नेसकी वापसी के नेलए कोई िेु रोध या कार्ड का सम्माि कररे या स्वीकार कररे के नेलए नेकसी भी व्यापारी नप्रर्तडर्ष्ठाि का निकार
- बैंक को बर्ताडर् ि ए नेकसी भी नेववरर् में कोई ि लर्तडर् बयाि , ि लर्तडर् बयाि ेी, त्रुनेट या च क • मचेंट लोके िश पर नेकसी भी कारर् से लेि देि की निरावट

14.2 बैंक कोई नेजम्मेदारी स्वीकार ि हीं करर्ताडर् है और नेकसी भी सेवा नेवफलर्ताडर्ओं या व्यवधाि (र् ेे टा की हानि नसहर्तडर्, लेनेिक सीनेमर्तडर् ि हीं) के नेलए नेकसी भी िेु कसाि या नक्षर्तडर् के नेलए उत्तरदायी ि हीं होि ेा, जो नेसस्टम या उपकरर् की नेवफलर्ताडर् के कारर् या तृडर्तीय पक्ष उत्पादों या न्योन्यानिर्तडर्ताडर्ओं पर बैंक द्वारा निभरडर्ताडर् के कारर् होर्ताडर् है, नेजसमें नेबजली या द रसंचार शानेमल है, लेनेिक नेनेेेी ेे तडर्क सीनेमर्तडर् ि हीं है।

14.3 बैंक ईश्वरीय कृ त्यों, दंि ेो ेे, ि ेाि ररक हंि ेामाओं, नेिवोह, युद्धों, या नेसके नियंत्रर् से परे नेकसी न्य कारर्, या नेसके नियंत्रर् से परे नेकसी भी न्य कारर् ेो ेे से िपे व्यवसाय में रुकावट से उत्पन्न होि ेे वाले पररर् ेामों के नेलए कोई दानेयर्तडर् या नेजम्मेदारी स्वीकार ि हीं करर्ताडर् है, या नेकसी भी हर्डर्तर्ल या तर्डर्लबिंदी द्वारा।

14.4 नयद कोई ईर् ेीसी, पीओएस या नेसी तर्डर्ह का उपकरर् या िऑलानि पोटलड खराब हो जार्ताडर् है, नेजसके पररर् ेामस्वरूप कार्डधारक को िेु कसाि होर्ताडर् है लेि -देि की कु छ या सभी रानेश, और नेस तर्डर्ह के िेु कसाि की पुनेष्टर्े बैंक द्वारा बैंक के ररकॉर्ड के सत्यािप के

माध्यम से की जार्ती है, बैंक सेवा शुल्क के नेलए नेकसी भी समायोिज नसहर्तडर् आपके कार्ड में कोई भी समायोिज करके उस

िेु कसाि को ठीक करेि ेा, नयद कोई हो।

14.5 कार्डधारक को नेकसीभीकारसे होि ेे वाली नेकसी भी हानि या नक्षर्तडर्के नेलए बैंक नेजम्मेदार ि हीं होि ेा कार्डधारक के निदेशों का पािल कररे में नेवफलर्ताडर्, जब ऐसी नेवफलर्ताडर् परे कारर् के कारर् होर्ती है बैंक का नियंत्रर्, नेस संबंध में बैंक की राय ेेनेर्तडर्म है।

14.6 कार्ड सुनेवधा का लाभ उठाकर, कार्डधारक, बैंक को कार्ड के उपयोि द्वारा निष्पानेदर्तडर् लेि देि ेो ेे को कररे के नेलए स्पष्टर्े प्राणेधकार प्रदाि करर्ताडर् है। नेिप के माध्यम से नेकए ि ए लेि देि के लावा न्य लेि देि की प्रामानेकर्ताडर् को सत्यानेपर्तडर् कररे के नेलए बैंक का कोई दानेयर्तडर् ि हीं होि ेा।

- 14.7 बैंक नेकसी भी पररक्सिनेर्तडर् में हानि या नक्षर्तडर् के नेलए नेकसी भी दावे के नेलए उत्तरदायी ि हीं होि ेा चाहे प्रत्यक्ष हो या प्रत्यक्ष, आकक्सिक, पररर् ेामी, और चाहे कोई दावा राजस्व, निवेश, उत्पािद, सद्दािवा, लाभ, रुकावट, व्यवसाय की हानि या नेकसी भी चररत्र या प्रकृ नेर्तडर् के नेकसी न्य ि ेु कसाि और चाहे कार्डधारक या नेकसी न्य व्यक्सि द्वारा िबाए रखा ि या हो।
- 14.8 नप्रर्तडर्बर्धों के कारर् कार्ड में जमा की ि ई निनेधयों की ि ेु पलब्धर्तडर् के नेलए बैंक उत्तरदायी ि हीं होि ेा पररवर्तडर्िरेीयर्तडर् या हस्तार्तडर्िरेीयर्तडर्, मांि , ि ैनेच्छक ि ेाि ेा ेर्तडर्, युद्ध या ि ेाि ररक संघर्ड या न्य के कृ त्यों पर बैंक के नियंत्रर् से परे समाि कारर्, नेजस पररक्सिनेर्तडर् में बैंक की कोई न्य शाखा, सहायक या संबद्ध नेसके नेलए नेजम्मेदार ि हीं होि ेी।

15. भुि तर्तडर्ि से िइकार कररे की क्षमर्तडर्

15.1 काि ि द्वारा न्यर् ेा आवश्यक के लावा, नयद बैंक को कोई प्रनिया, सिम, आदेश, निर् ेे धाज्ञा प्राप्त होर्ती है, निष्पािद, क्सव्यभचार, लेवी, ग्रहर् ेानेधकार, स िचा या ि ेोनेटस नेजसे बैंक सद्दावप वकड माि तर्तडर् है कार्डधारक की क्षमर्तडर्, कार्ड, बैंक पर िपे नेववेक पर और दानेयर्ट के नेिबा लेि देि कररे पर सवाल उठाएं कार्डधारक को िपे िध के नेकसी भी नेहस्से को प्राप्त कररे के नेलए, या बैंक, नेस तर्तडर्ह के िध का भुि तर्तडर्ि एक को कर सकर्तडर् है उपयुि प्रानेधकारी और लाि काि ि द्वारा आवश्यक कोई न्य कदम उठाएं।

15.2 बैंक कार्ड पर उपलब्ध रानेश से एक नउचर्तडर् सेवा में कटौर्ती कररे का नेधकार सुरक्षर्तडर् रखर्तडर् है शुल्क और बैंक द्वारा नेकए जाि ेे वाले नेकसी भी खचर्, नेजसमें नेिबा नेकसी सीमा के नउचर्तडर् काि ि ेी शुल्क शानेमल है, काि ि ेी के कारर् कार्ड से जुर्ेी कारवाडई।

16. कार्ड की समाक्सि

16.1 नयद कार्डधारक कार्ड के उपयोि को समाप्त कररे का निर्डय लेर्तडर् है, तौ कार्डधारक बैंक को कम से कम 7 नेिद प वर् स िचा नेनलखर्तडर् रूप में और िआ ेे निप्ट कार्ड बैंक को वापस कररे और उसकी वैध

रसीद प्राप्त कररे के नेलए स नेचर्तडर् नेकया जाि ेा चानेहए। नेस तर्तडर्ह की समानेप्ट को बैंक द्वारा कार्डधारक को दी ि ई सभी सुनेवधाओं की समानेप्ट भी माि ेा जािे।

16.2 नयद कार्डधारक द्वारा कार्ड को ि ष्ेे कररे के दावे के बाद कार्ड पर शुल्क िलाया जार्तडर् है, तौ कार्डधारक कार्ड पर नेकए ि ए शुल्कों के नेलए प री तर्तडर्ह से उत्तरदायी होि ेा, चाहे वह दुरुपयोि का पररर् ेाम हो या ि हो और बैंक को कार्ड ि ष्ेे होि ेे की स िचा दी ि ई हो या ि ही। ेे

16.3 बैंक कार्ड नसहर्तडर् या उसके नेिबा कार्ड को रद्द करके समय पर नेस सुनेवधा को बंद कररे का हकदार होि ेा कोई भी कारर् निनेदष्टे् कररा और 7 नेिदों का ि ेोनेटस देकर और द्वारा प्राप्त माि ेा जािे।

भारतडर में कार्डधारक के पते पर 7 नेिदों की पोनेस्टंि वाले कार्डधारक, ें नेर्तडर्म बार नेनलखर्तडर रूप में नेधस नेचर्तडर खार्ताडर होि ेा।

17. गक्षर्तडपूगार्तडर्

17.1 कार्डधारक बैंक, उसके ग्राहकों या तृट्तीय पक्ष को हुई नेकसी भी हानि या कार्डधारक द्वारा कार्ड सुनेवधा के उपयोि के संबंघ में नेकसी तृट्तीय पक्ष द्वारा नेकए ि ए नेकसी भी दावे या कारवाडई के नेलए बैंक को नक्षर्तडर्प नेर्तडर् करेि ेा और बैंक को हानिररहर्तडर् रखेि ेा। कार्डधारक सहमर्तडर् है बैंक को सभी देि दाररयों, हानियों, नक्षर्तडर्यों और खचों के नेलए नक्षर्तडर्प नेर्तडर् कररा, जो बैंक को िबाए रख सकर्तडर् है या खचर् कर सकर्तडर् है या तौ प्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से नेसके पररर्ेामस्वरूप:

- कार्डधारक की लापरवाही/लि लती या कदाचार
 - कार्ड से संबंनेधर्तडर् नियमों/नियमों और शर्तों का उलंघि या ि ैै र-ि ेु पािल
 - कार्डधारक या उसके कमचाडररयों/एजेंटों द्वारा नेकसी भी लेि देि से संबंनेधर्तडर् धोखाधर्ेी या बेईमाि ेी
 - िऑलानि व्यापारी, ईर्ेीसी और नेसी र्तडरह के नेलेक्ट्रॉनिक नटमिलड मशीि हैं और त्रुनेटयां हो सकर्ती हैं।
- पररचािल

17.2 कार्डधारक ऐसी नेकसी मशीं /यानेत्रक त्रुनेटयों/नेवफलर्ताडर्ऑ के नेलए बैंक को नक्षर्तडर्प नेर्तडर् कररे के नेलए सहमर्तडर् होि ेा। बैंक सुनेवधा प्रदाि कररे या नेकसी भी कारर् के नेलए नियमों और शर्तों का पािल कररे में नेकसी भी नेवफलर्ताडर् के नेलए बैंक उत्तरदायी ि हीं होि ेा जो बैंक के नियंत्र से बाहर है। कार्डधारक को कार्ड की सुनेवधा प्रदाि कररे वाले बैंक को ध्याि में रखर्त हुए, कार्डधारक एर्तडर्द् वारा बैंक को सभी कायों, दावों, मांि ेो ें, कायवाडही, हानियों, नक्षर्तडर्यों, व्यक्सि तर्डर् चोट, लाि तों, प्रभारों और व्ययों से नक्षर्तडर्प नेर्तडर् कररे के नेलए सहमर्तडर् होर्ताडर् है जो बैंक नेकसी भी समय कार्डधारक को कार्ड की िउ सुनेवधा प्रदाि कररे के पररर् ेामस्वरूप या उसके द्वारा विह नेकए जाि ेे, िबाए रिखे, भुि िर्ते या उत्पन्न होि ेे वाले नेकसी भी समय विह कर सकर्ताडर् है, िबाए रख सकर्ताडर् है, भुि तर्डर् सकर्ताडर् है या र्ेाल सकर्ताडर् है बैंक द्वारा ि ेेिकीयर्ती से कायर् कररे, लेि ेे या िमा कररे या कार्डधारक के निदेश पर कारवाडई कररे से च िके का कारर्। कार्डधारक एर्तडर्द् वारा बैंक को नेकसी भी दानेयर्ल्ड (नेनसवल या आपरानेधक), हानि, लाि तर्डर्, व्यय या नक्षर्तडर् के नेखलाफ प री तर्डर्ह से नक्षर्तडर्प नेर्तडर् करर्ताडर् है जो कार्ड के ि ेु कसाि या दुरुपयोि के कारर् उत्पन्न हो सकर्ती है, नयद यह खो ि या है और बैंक को स नेचर्तडर् कररे से पहले बैंक को स नेचर्तडर् ि हीं नेकया ि या है या खो ि या है और दुरुपयोि नेकया ि या है।

18. गागववध

18.1 कार्डधारक को नेिबा शर्तर्डर् नि शर्तों के नेलए सहमर्तर्डर् और स्वीकार नेकया ि या माि ेा जाििए और या र्तों कार्ड आवेिद पत्र पर हस्ताक्षर करके, और कार्ड की प्रानेप्त को स्वीकार करके कृ नेर्तडयागगगगि

18.2 बैंक कार्ड पर दी जाणि ेे वाली ि ेीनेर्तडर्, नेवशेर्तडर्ओं और लाभों को संशोनेर्तडर् कररे और बदिले का नेधकार सुरक्षर्तडर् रखर्तडर् है समय-समय पर ये नियम और शर्ते और िउ पर धिर्तडर् नियम और शर्ते होि ेे ेी www.axisbank.com एक्सिस बैंक की वेबसानेट पर उपलब्ध कराया ि या। कार्डधारक ऐसे से बाध्य होि ेा पररवर्तडर्र् जब तर्डर्क कार्ड उस तर्डर्ख से पहले रद्द कररे के नेलए बैंक को वापस ि हीं नेकया जार्तडर् है नेजस पर कोई भी पररवर्तडर्र् का प्रभाव होि ेा है।

18.3 ये शर्ते कार्डधारक और बैंक के बीच एक िेु बंध िबार्ती हैं। सेवा स्वीकार करके, कार्डधारक नि नियमों और शर्तों को स्वीकार करर्तडर् है।

18.4 बैंक िेीचे स चीबद्ध उद्देश्यों/कारर् ेो ेे नसहर्तडर् (लेनेिक नेनेे ेी ेे तर्डर्क सीनेमर्तडर् ि हीं) पररवर्तडर्र् कर सकर्तडर् है:

- के वल निफ्ट कार्ड के उपयोि से संबंनेर्तडर् शुल्क िलाि ेा या बढाि ेा
- िपे कार्ड के सार् लेि देि से संबंनेर्तडर् िेु कसाि के नेलए कार्डधारक की देयर्तडर् बढाएं

18.5 बैंक नेिबा नेकसी स िचा के भी पररवर्तडर्र् कर सकर्तडर् है नयद पररवर्तडर्र् िबाए रिखे या पुि िेा िडपा के नेलए आवश्यक है कार्ड लेि देि के नेलए उपयोि नेकए जाि ेे वाले नेलेक्त्रॉनिक नेसस्टम या उपकरर् की सुरक्षा। नयद ऐसा पररवर्तडर्र् नेकया जार्तडर् है तों कार्डधारक को 30 नेिदों के भीर्तडर् स नेचर्तडर् नेकया जाि, जब तर्डर्क नेक प्रकटीकरर् नेलेक्त्रॉनिक प्र्ेाली या उपकरर् की सुरक्षा को खर्तडर् में ि र्ेाले।

18.6 निकी नेधस िचा और कोई न्य पररवर्तडर्र् बैंक द्वारा एक्सिस बैंक की वेबसानेट के माध्यम से कार्डधारक को नेवर्तडर्र्तडर् कररे के नेलए नेदया जा सकर्तडर् है www.axisbank.com

18.7 बैंक कार्डधारक को र्ेाक द्वारा नि नियमों और शर्तों में पररवर्तडर्र् की स िचा भी दे सकर्तडर् है एक्सिस बैंक की वेबसानेट पर भी ऐसा ही है।

18.8 ये नियम और शर्ते होि ेे ेी; ए) नेकसी भी पहले नेकए ि ए प्रस्तावों, भ्यावेिद पर प्रबल होकर, समझ और समझौते, िव्य या निनेहर्तडर्, या तों मौनेखक या नेनलखर्तडर् रूप में और, बी) नेसके लावा लाि होर्ते हैं जमा खार्ते के नेलए बैंक के सामान्य नियम और शर्ते और बैंक की नेकसी भी न्य शर्ते और शर्ते न्यर्ेा लाि । हालांनिक संघर्ड के मामले में, निफ्ट कार्ड के नेलए ये नियम और शर्ते निफ्ट कार्ड सुनेवधा के तर्डर्हर्तडर् लेि देि के संबंध में सुनेवधा मान्य होि ेी।

19. काि ाूि काि ाुपाि ि एक्सिस बैंक द्वारा पेश नेकया ि या निफ्ट कार्ड उत्पाद ऐसे नियमों और शर्तों के धीि है, जैसा नेक निधारडर्तडर् नेकया जा सकर्तडर् है भारतीय ररजवर् बैंक और उपहार से संबंनेर्तडर् प्रावधाि ेो ेे नसहर्तडर् नेवनियामक और / या सांनेनवधक

प्रानेधकरर् कार्ड नियामक आवश्यकर्ताडर् और/या एक्सिस बैंक की आंर्तडर्रक ि ेीनेर्तडर् के िेु सार नेभर्न हो सकर्तें हैं। निपट कार्ड की सुनेवधा बशर्तें नेक यहां और ये नियम और शर्तें लाि कारि ि और नेवनियमों के धीि हैं और नेकसी भी समय प्रनचलर्तडर् कारि ि या नेवनियम के आधार पर संशोनेधर्तडर् या बंद कर नेदया जाए और बैंक नेकसी भी दानेयर्ल्ड या दानेयर्ल्ड के र्तडर्हर्तडर् ि हीं होि ेा या िउ कार्ड सुनेवधा का कायार्न्डिय जारी ि हीं रखेि ेा जब र्तडर्क नेक ऐसा ि हीं हो जार्ताडर् उस समय प्रनचलर्तडर् या संशोनेधर्तडर् कारि ि के िेु सार शर्तों को संशोनेधर्तडर् नेकया जार्ताडर् है। घिटा में, नेक नेकसी भी नेबंदु पर प्रनचलर्तडर् कारि ि के प ड िेु पािल के नेिबा कार्ड सुनेवधा जारी ि हीं रखी जा सकर्ती है समय, नेस समझौर्तें / नियमों और शर्तों को र्तडर्रिख से र्तुडर्र्तडर् समाप्त माि ेा जािण जब व्थिवा को नप्रर्तडर्बनेधर्तडर् या निनेड्द्र कररे वाला संशोनेधर्तडर् कारि ि लाि होर्ताडर् है।

20. शासी कारि ाूि और गाधकार क्षेत्र ये नियम और शर्तें और/या लेि देि भारर्तीय कारि ि और सभी दालर्तों द्वारा शानेसर्तडर् होि ेेे कार्ड के उपयोगि से उत्पन्न होि ेेे वाले नेकसी भी दावे या मामलों के संबंध में मुंबई के पास ि न्य क्षेत्रानेधकार होि ेा।